

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 467
28 नवम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना

467. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शहरी अवसंरचना को सतत रूप से विकसित करने के उद्देश्य से शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): जी हां। सरकार ने टियर 2 और टियर 3 शहरों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग शॉर्टफॉल का प्रयोग करके शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (यूआईडीएफ) स्थापित की है। यूआईडीएफ का लक्ष्य सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जलापूर्ति और स्वच्छता, नालियों/वर्षा जल निकासी नालियों के निर्माण और मरम्मत इत्यादि जैसी मूलभूत सेवाएं प्रदान करने हेतु वित्तपोषण के स्थायी तथा पूर्वानुमान योग्य स्रोत उपलब्ध करवा कर सार्वजनिक/राज्य एजेंसियों, नगर निगमों और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वित किए जा रहे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकास कार्यों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करना है। यह निधि नैशनल हाउसिंग बैंक द्वारा प्रबंधित की जाती है।
